न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –70 / 2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. बालाराम पुत्र जसाराम के कायम मुकामान– 1/1 श्रीमति पपूदेवी पत्नी बालाराम 1/2 चेनाराम पुत्र बालाराम 1/3 ओमाराम पुत्र बालाराम 1/4 लीला पुत्री बालाराम 2. पेमाराम पुत्र जसाराम 3. जेठाराम पुत्र जसाराम 4. जोगी पत्नी जसाराम जाति समस्त जाट निवासीगण कुडछी तहसील खींवसर जिला नागौर		तहसीलदार खींवसर, जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 01/07/2019

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2015 सरकार बनाम बालाराम वगैराह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.04.2015 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट्स ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार खींवसर ने दिनांक 22.04.2015 को अपीलांट्स को खसरा नम्बर 2430/1455 रकबा 0–15–4 बीघा गै.मु. रास्ता मौजा कुडछी तहसील खींवसर पर अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन माह के सिविल कारावास व 12 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। तहसीलदार खींवसर के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की है।

लायक अदालत मातहत का निर्णय जेर अपील गलत विरूद्ध कानून व तथ्यों के विपरीत पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 1458 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा मौजा कुडछी का चिपता पडौसी मोडाराम है जिसने एक आवेदन पत्र बअनवान मोडाराम बनाम बालाराम न्यायालय एस.डी.ओ. खींवसर में मु.नं. 8/12 आवेदन अधीन धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् पेश किया था, जिसकी हम अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी न ही होने दी। क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2012 को पेश किया गया तथा आदेशिका दिनांक 03.08.2012 की पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर/बाहर रहे हुए है जिसमें हाथ से अंकित किया गया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 5 ने सम्मन लेने से इन्कार किया तथा दिनांक 03.08.2012 में

कलक्टर, नागौर

कांटछांट की गयी तथा तारीख को बदला गया और इसके पश्चात् दिनांक 04.09.2012 की सील का अंकन किया गया तथा सामने वाले कॉलम में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से आईन्दा वकालतनामा पेश करने का लिख कर किसी के हस्ताक्षर करवाये गये, इससे स्पष्टतया जाहिर होता है कि आवेदन में प्रार्थी मोडाराम ने मिलीभगत कर तामिल कुनिन्दा से इन्कारी की रिपोर्ट करवाई है जबकि अपीलांट्स के पास धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के कोई नोटिस नहीं आये न ही अपीलांट्स ने लेने से इन्कार किया क्योंकि अपीलांट्स के साथ उक्त आवेदन में अप्रार्थी संख्या 5 के रूप में तहसीलदार खींवसर व अप्रार्थी संख्या 6 के रूप में शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बिरलोका का भी नोटिस लेने से इन्कार करना लिखा गया है जबकि दोनो सरकारी कर्मचारी है जिनके द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करना किसी भी सुरत में संभव नहीं है न ऐसा हुवा था। इस प्रकार उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी मोडाराम ने मिलीभगत कर बाले बाले निर्णय करवा लिया, जिसमें अपीलांट की कोई तामिल नहीं हुई, गलत रूप से इन्कारी की रिपोर्ट करवा कर इकतरफा में फैसला करवा कर अपीलांट्स के साथ घोर अन्याय हुआ है प्रार्थी ने कपटपूर्ण तरीके से निर्णय प्राप्त किया है। अपीलांट्स उक्त प्रार्थना पत्र में अपना पक्ष नही रख सके, जिससे अपीलांट के हक अधिकारों व खातेदारी अधिकारों पर भारी कुठाराघात हुआ है।

लायक अदालत मातहत ने अपीलांट को खसरा नम्बर 2430/1455 रकबा 0–15–4 बीघा गे.मु. रास्ता मौजा कुडछी की भूमि पर अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया है जबकि उक्त भूमि अपीलांट की कब्जासुद खातेदारी की भूमि रही है जिस पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है मोडाराम द्वारा नाजायज रूप से तामिल कुनिन्दा से मिलीभगत कर एस.डी.ओ. कोर्ट को अंधेरे में रख कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गलत रूप से कागजों में रास्ता का इन्द्राज करवाया है जबकि मौके पर न तो ऐसा कोई रास्ता कभी मौजूद था न आज दिन है जबकि मोडाराम के रास्ता कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 1457 से होता हुआ खसरा नम्बर 1458 में प्रवेश करता है। खसरा नम्बर 1458 व 1458/1 मोडाराम व प्रतापराम के पुत्रगण सहखातेदारों का खेत है जो बंटवाडे से अलग अलग हुआ है इसलिए नजदीकी एंव सुगम रास्ता मोडाराम के खसरा नम्बर 1457 में सें होकर आता जाता रहा है। आज दिन भी इसी रास्ते से होकर मोडाराम आता जाता रहा है।

इसी रास्ते के लिए मोडाराम ने एक सुखाचार के तहत् ग्राम पंचायत कुडछी में रास्ता चाहा था जिसको ग्राम पंचायत कुडछी ने मौके पर कोई रास्ता नहीं होने से उपरोक्त खसरा नम्बर 1457 में सें रास्ता होने से मोडाराम का आवेदन खारिज कर दिया। जिसकी आगे से आगे अपीलें होकर वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटीशन संख्या 13724/2013 विचाराधीन है। इस तरह से अपीलांट के खेत में सें 2 तरह के रास्ते बताये जा रहे है एक तरफ तो सुखाचार के तहत् व दुसरी तरफ धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् आदेश पारित किया है। जिससे अपीलांट के खेत में सें दो रास्ते निकालना या मानना किसी भी सुरत में उचित व न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत् कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि की दृष्टि से किसी प्रकार से उचित व न्याय संगत नहीं है।

वादग्रस्त कथित रास्ते बाबत तहसीलदार स्वंय ने अपने स्तर पर कोई जांच या निरीक्षण नहीं किया, केवलमात्र पटवारी हल्का की मिलीभगती से प्रस्तुत रिपोर्ट पर विश्वास करने में भारी भूल की है क्योंकि यदि तहसीलदार स्वंय मौका निरीक्षण करते तो मौके की स्थिति स्पष्ट हो जाती और इस तरह का निर्णय नहीं हो सकता था इस प्रकार अपीलांट्स को कथित प्रकरण के संबंध में पूर्ण जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं मिला है। आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका व निर्णय के अवलोकन से स्पष्टतः प्रकट होता है कि जिस खसरा की भूमि पर अपीलांट्स द्वारा कब्जा करना बताया गया है

उस भूमि पर अपीलांट्स द्वारा किस प्रकार से कब्जा किया गया है व किस प्रकार से रूकावट डाली गई है जिसका कोई वर्णन आदेशिका व फैसले में अंकित नहीं है जबकि उक्त भूमि शुरू से लेकर आज दिन तक अपीलांट की खातेदारी व कब्जासुद रही है। जिससे स्पष्टतया साबित होता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट्स का कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं है। बल्कि रेकर्डेड खातेदार के रूप में अपीलांट काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहे है। मौके पर किसी प्रकार के रास्ते के अलामात न तो कभी थे और न है न मौके पर ऐसा कोई रास्ता चला न अपीलांट की खातेदारी की भूमि को कटाणी या सरकारी रास्ते की भूमि माना जा सकता है न ही उक्त प्रकरण धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की तारीफ में आता है। जिससे भी निर्णय जैर अपील विधि विरूद्ध होने से अपास्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

वकील अपीलान्ट ने बहस जारी रखते हुऐ कथन किया की हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त ग्राम कुड़छी के खसरा नम्बर 2430/1455 की भूमि पर अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण होना मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् के विरूद्ध सिविल कारावास, जुर्माना बेदखली का निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

ग्राम कुड़छी के खसरा नम्बर 2187/1455 अपीलान्टस् की खातेदारी की भूमि है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर ने राजस्व प्रकरण संख्या– 08/12 मोडाराम बनाम बालाराम वगैरह में उक्त खसरा नम्बर 2187/1455 की 152 गुणा 2 गट्ठा जिसका योग 15.04 बिस्वा भूमि का रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिनांक 14.06.2013 को पारित किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर के उक्त आदेश दिनांक 14.06.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के सक्षम अपील प्रस्तुत अपील संख्या 40/2015/225/खींवसर बालाराम के का.मु. वगैरह बनाम मोडाराम के कायम मुकाम वगैरह में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने दिनांक 03.04.2019 को निर्णय पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2013 को अपास्त कर दिया है। राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित उक्त निर्णय अनुसार उक्त खसरा नम्बर 2187/1455 की रास्ते के रूप में दर्ज भूमि अब रास्ते की भूमि नहीं रही है, और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी खसरे की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में निर्णय जैर अपील पारित किये जाने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को अपास्त कर राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड करने के संबंध में कोई विरोध नहीं होने का बहस में निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी कुड़छी की रिपोर्ट दिनांक 25.12.2014 जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक बिरलोका द्वारा 11.01.2015 को की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम कुड़छी के खसरा नम्बर 2430/1455 रास्ते की 0–15–04 बीघा भूमि पर कब्जा व काश्त कर अतिक्रमण किया जाना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का भी समुचित अवसर दिया गया। वकील अपीलांट ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स को कोई अतिक्रमण नहीं हो एवं वादग्रस्त भूमि रास्ते की नहीं हो। इस प्रकार प्रकरण में तत्समय पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत है।

वकील अपीलांट ने हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार एस.डी.ओ. खींवसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/12 मोडाराम बनाम बालाराम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 215 आर.टी. एक्ट में पारित आदेश दिनांक 14.06.2013 के अनुसार ग्राम कुड़छी के

खसरा नम्बर 2187/1455 की 152 गुणा 2 गट्ठा जिसको योग 15.04 बिस्वा का रास्ते के रुप में राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में इन्द्राज कर पालना का तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया गया है। जिसके क्रम में ग्राम कुड़छी तहसील खींवसर के उक्त खसरा नम्बर 2430/1455 रकबा 0.15.04 बीघा भूमि का गैर मुमकिन रास्ते के रुप में नामान्तरणकरण संख्या 1599 दिनांक 7.8.13 को तहसीलदार खींवसर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी खींवसर के उक्त आदेश दिनांक 14.6.13 के विरुद्व राजस्व अपील अधिकारी नागौर के न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपील संख्या 40/2015/225/खींवसर बालाराम के कायम मुकाम वगैरह बनाम मोडाराम के कायम मुकाम वगैरह प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 03.04.2019 से अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.13 राजस्व प्रकरण संख्या 08/12 को अपास्त कर दिया। इस प्रकार राजस्व अपील अधिकारी के अनुसार अब हस्तगत प्रकरण में इन नये तथ्यों व दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2430/1455 अब रास्ते की भूमि नहीं रही है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय के क्रम में पक्षकारान को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना उचित है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 40/2015/225/खींवसर बालाराम के कायम मुकामान वगैरह बनाम मोडाराम के कायम मुकामान वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2019 के क्रम में पक्षकारान के सुनवाई, साक्ष्य, सबूत पेश करने का अधिकार प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर